

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक जनजातीय औषधीय प्रथाओं को बढ़ावा देना

1113. श्री अमरसिंह टिस्सो:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने असम में कार्बी और दिमासा समुदायों में प्रचलित पारंपरिक जनजातीय औषधीय प्रथाओं को मान्यता प्रदान करने और उनका प्रलेखीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के प्रलेखीकरण, अनुसंधान और सत्यापन में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार उक्त जनजातीय प्रथाओं को औपचारिक आयुष प्रणालियों के साथ एकीकृत करने या राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत उन्हें बढ़ावा देने का है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): असम में कार्बी और दिमासा समुदायों में प्रचलित किसी विशिष्ट पारंपरिक जनजातीय औषधीय पद्धति को मान्यता देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीसीआरएएस-सीएआरआई), गुवाहाटी का मेडिको एथनो वानस्पतिक सर्वेक्षण (एमईबीएस), “स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं (एलएचटी), मौखिक स्वास्थ्य परंपराओं (ओएचटी) और जनजातीय औषधीय पद्धतियों (ईएमपी) का महत्वपूर्ण मूल्यांकन एवं सत्यापन: पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदायों में एक समावेशी अध्ययन” के शीर्षक से एक परियोजना, जो एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त है, के तहत पारंपरिक जनजातीय औषधीय पद्धतियों के प्रलेखीकरण में शामिल है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएफएमआर), पासीघाट द्वारा दिनांक 27-28 फरवरी 2025 को “कार्बी जातीय समूह में जनजातीय औषधीय पद्धतियों का प्रलेखीकरण और पारंपरिक चिकित्सकों का क्षमता वर्धन” पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

सीसीआरएएस-सीएआरआई, गुवाहाटी और एनईआईएफएमआर, पासीघाट, जो आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन हैं, इन स्वदेशी ज्ञान पद्धतियों के प्रलेखीकरण, अनुसंधान और सत्यापन में शामिल हैं।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।